



लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

332, हिन्दू नगर, कानपुर रोड, लखनऊ-226021
फोन नं० : 0522-2435514 फैक्स : 0522-4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

श्री १० पार्क इन्फोबिल्ड प्रॉजैक्ट,
प्लॉट नं० 73, ग्राउण्ड फ्लोर,
पटपटान इण्डस्ट्रियल एरिया,
दिल्ली-110092

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 343 दिनांक 26.08.2015 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा सीरानपुर विनवट परगना बिजनौर जखनऊ में परमिट नं० 281 दि० 13.08.15 द्वारा स्वीकृत है-विन्यास मानचित्र के आधार पर 228093.00 में आंशिक भूभाग पर बहुमंजिलीय भवन एवं कलब का मानचित्र के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/अस्वीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा संलग्न बार् (पृष्ठ नं० 1 से 15) पर आपके आवेदन-पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कायालय मुहर



कायालय संप्रिषण संख्या

432

दिनांक 06/11/2015

अधिकारी का नाम - श्री एम०पी० सिंह
अधिकारी का पदनाम - वरिष्ठ प्रबंधक (पर्सि)

06/11/15

हस्ताक्षर

संख्या 432 / लओऔविओप्रा
दि० ०६/११/१५

निर्माणार्थ अनुमति - पत्र

यह अनुमति उ० प्र० औद्योगिक विकास अधिनियम १९७६ एवं इसके साथ पठित माहूल बिल्डिंग वाईलान १९७७ के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसके अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किस्ती प्रकार या किस्ती स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किस्ती का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किस्ती के मालिकयत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री / श्रीमती / सौ पार्थ दि० ११/०९/१५ द्वारा ग्राम मीरानपुर पिनकोड परगना बिजनौर तहसील लखनऊ जिला लखनऊ के खसरा स० १३५, १३६, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३, ७३४, ७३५, ७३६, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२, ७४३, ७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९, ७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४, ७५५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ७७०, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१, ७९२, ७९३, ७९४, ७९५, ७९६, ७९७, ७९८, ७९९, ८००, ८०१, ८०२, ८०३, ८०४, ८०५, ८०६, ८०७, ८०८, ८०९, ८१०, ८११, ८१२, ८१३, ८१४, ८१५, ८१६, ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८२२, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६, ८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९, ८४०, ८४१, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७, ८४८, ८४९, ८५०, ८५१, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५, ८५६, ८५७, ८५८, ८५९, ८६०, ८६१, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८७६, ८७७, ८७८, ८७९, ८८०, ८८१, ८८२, ८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८८९, ८९०, ८९१, ८९२, ८९३, ८९४, ८९५, ८९६, ८९७, ८९८, ८९९, ९००, ९०१, ९०२, ९०३, ९०४, ९०५, ९०६, ९०७, ९०८, ९०९, ९१०, ९११, ९१२, ९१३, ९१४, ९१५, ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२०, ९२१, ९२२, ९२३, ९२४, ९२५, ९२६, ९२७, ९२८, ९२९, ९३०, ९३१, ९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, ९३७, ९३८, ९३९, ९४०, ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९५३, ९५४, ९५५, ९५६, ९५७, ९५८, ९५९, ९६०, ९६१, ९६२, ९६३, ९६४, ९६५, ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३, ९७४, ९७५, ९७६, ९७७, ९७८, ९७९, ९८०, ९८१, ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७, ९८८, ९८९, ९९०, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४, ९९५, ९९६, ९९७, ९९८, ९९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०

बहुमंजिलीय भवन (आवासीय-कलस्टर-७ एवं ८ एवं कलब) जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं। विहित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत बहुमंजिलीय भवन (आवासीय) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या २१८/लीडा/सी.ई.ओ./२०१४-१५ के नोट पुख सं० १३ पर दिनांक ०६.११.१५ को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है।

सहायक प्रबंधक (परि०)
(जोन - लखनऊ)

प्रबंधक (परि०)

टाउन प्लानर/सहयुक्त नियोजक

वरिष्ठ प्रबंधक (परि०)

दिनांक - ०६/११/१५





- नोट 1. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिये है। यदि निर्माण आडानुक्रम नहीं बनी तो लीजा द्वारा उसे निरवधाय जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा यदि कोई निर्माण बिना लीजा की अनुमति प्राप्ति किये निर्माणाित अथवा पुनः निर्माणाित होगा तो उनके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार के अवशामय निर्माण को लीजा द्वारा हटया जाएगा और उसके हटाने के खर्च का भार उन निर्माण बनाने वाले से बर्सेल किया जायेगा।
2. इस अनुमति पत्र के सड़क या गली पर बंधाकर प्रोजेक्शन जैसे पार्किंग बारजा, लोडा सीडी, ड्राप नये अथवा पुराने निर्माण को लोडकर उस जगह फिर नये निर्माण की स्वीकृति बाड़े उसके साथ नक्शे में दिखाई भी गयी हो, नही प्रदान की जावेगी। इन निर्माणों के लिये प्राधिकरण 2. इस अनुमति पत्र के सड़क या गली की पट्टी अथवा सड़क या गली के किसी भाग को निर्माण के अगावाड़े पिछवाड़े अथवा सड़क या गली के किसी भाग (जो निर्माण के अगावाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण टकली गई हो) हानि पहुँचे तो यह निर्माण स्वामी को गत वैधाय हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा तो उसे पहले ही लोडकर अपने खर्च से मरमत करवाकर पूर्ववत अवस्था में लिये प्राधिकरण को संतोष हो जावे में कर देना होगा।
4. निर्माण के समय इसका ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिक सिटी क्लस के नियम 1970 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि लीजा की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।
5. प्रार्थी को नियमानुसार लीजा को निर्माण के पूर्ण हो जाने की सूचना निर्माण समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन के अंदर देना होगा। यदि सूचना न दी गयी तो यह समझा जायेगा कि निर्माण पूर्ण हो गया।
6. यह अनुमति किसी कारण वश नजूल प्राधिकरण अथवा जमीनदात्री उन्मूलन के भीम पर निर्माण हेतु दे दी गयी तो वैध न मानी जायेगी। और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भीम पर निर्माण आदि हटावे जिसका कोई हखाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इस लिये भीम स्वामी अपनी भीम के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण को प्रारम्भ करे।
7. आवेदक को लीजा द्वारा निर्धारित वाहय विकास शुल्क की अवशेष धनराशि को अर्द्धवार्षिक किस्तों पर 14 प्रतिशत व्याज सहित देय होगा तथा स्वीकृत मानचित्र व वाहय विकासक्रम कार्यों के विरुद्ध कोई भी वाद योजित नहीं किया जायेगा।



8. आवेदक को अपने वित्त पोषण संबंधी बैंक/संस्था के विवरण की सूचना लीजा को देनी होगी।
9. आवेदक को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही संबंधित स्थिति दर्शाते व आर्कड की देखरेख में निर्माणकार्य कराया जायेगा तथा समय-समय पर कार्य की प्रगति से लीजा को अवगत करना होगा। विशिष्टियाँ गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी के लिये लीजा जिम्मेदार नहीं होगा।
10. आवेदक का मानचित्र जिस उपयोग हेतु निर्धारित अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है उस अवधि में कार्यपूर्ण कर कार्यपूर्ण प्रमाण पत्र फीस लीजा की भवन नियमावली 2009 के अनुसार आच्छादित क्षेत्रफल पर रु0 2.50 प्रतिवर्ग मी0 देय होगा।
11. प्राधिकरण के सहित प्रबंधक परि0 द्वारा यदि किसी प्रकार का निरीक्षण किया जाता है तो आवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा।
12. प्राधिकरण की भवन नियमावली एवं अन्य शर्तें आवेदक को मान्य होंगी।
13. किसी भी नियमों की अवहेलना करने पर आवेदक का मानचित्र अस्वीकृत माना जायेगा।
14. अनिशामन विभाग द्वारा जारी पत्र सं0 एक0एस0 1076/जेडी (टी0एम0) / 15 (5) दि0 02.11.2015 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
15. भूक्षेत्रीयण का अनुपालन किया जायेगा।
16. स्वीकृत मानचित्र की प्रति स्थल पर उपलब्ध रहेगी तथा अध्याय-2 के नियम 16 का पालन किया जायेगा।
17. प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर मीने जाने पर आवंटियों की सूची पता सहित उपलब्ध कराना होगा।
19. प्रस्तावित स्थल पर विकास प्रारम्भ करने पर आवेदक द्वारा उसकी सूचना विहित प्रपत्र पर प्राधिकरण को दी जायेगी।
20. सड़कों के किनारे यथा सम्भव कच्चे रखे जाएंगे अथवा बिक-ऑन-एज/लैंज स्टीन पेवमेन्ट का प्राविधान किया जाएगा, ताकि ग्राउन्ड वाटर की अधिक से अधिक रिवर्जिंग सम्भव हो सके।
21. विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिमत है, तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने के पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी।



- विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अनुशासित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति/कम्प्यूटरीकृत डाटा (.dwp) या समकक्ष फॉर्मट में (सी.डी.डी. में जमा करेगा, जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फीस प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार जमा करना होगा।
22. इस अनुशासित सू/गृह का किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुशासित किसी प्रकार की विवक्षित कार्यवाही हेतु निरापेक्ष अथवा/विवक्षित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी प्रकार का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
23. यह अनुशासित किसी भी समय प्रावधान पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुशासित सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गई है, निरस्तकी जा सकती है।
24. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नाणियों के ऊपर पथर के रूप में हो अथवा आरकेड बालकनी, छप्पा कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में हो चाहे भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्शा में दर्शा दिये गये की अनुशासमान्य होगी।
25. अनुशासित यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्ण स्वीकृत अनिवार्य होगी।
26. यह अनुशासित निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहाँ पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकार नती तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये गये।
27. स्वामित्व के संबंध में समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
28. मानचित्र में दर्शित अशमनीय निर्माण यदि निर्धारित विधि तक पक्ष द्वारा खरस नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा विनाधिकारी/प्रतिकरण द्वारा निर्धारित सेक्टर दर का प्रतिशत हजाना कार्यवाही करके पक्ष से खर्चीकरण का व्यय वसूल करेगा।
29. आवश्यक समस्त शरासकीय अनापत्ति आप द्वारा अवश्य प्राप्त की जायेगी एवं उसके अनुपालन की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
30. सीवर व अन्य आवश्यक डिस्पोजल की व्यवस्था आप द्वारा स्वयं की जायेगी।
31. 10 पार्श्व इन्का विन्ड 10 डिग्री 60 डिग्री (दो माह) के अंदर लीजा की भूमि व समस्त शरासकीय भूमियों का नियमानुसार विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये एक्वेज/विनिमय की कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी।



विकासकर्ता द्वारा टाउनाशिप / कालोनियाँ में एस0टी0पी0/म्युनिसिपल सालिड वेस्ट का निस्तारण योजनाबद्ध रूप से कराये जाने विषयक पर्यावरण विभाग के शासनादेश सं0 3333/55-पयू0/2008 दि0 29.09.2008 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश प्रदेश नियंत्रण बोर्ड से सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा तथा प्रस्तावित योजना के संबंध में संक्षेप स्तर से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। निर्देशक मंडल द्वारा अनुमोदित मारटर प्लान 2031 की नीति के आधार पर सालिडवेस्ट की गणना की जायेगी। सालिडवेस्ट

6. विकासकर्ता द्वारा टाउनाशिप / कालोनियाँ में एस0टी0पी0/म्युनिसिपल सालिड वेस्ट का निस्तारण योजनाबद्ध रूप से कराये जाने विषयक पर्यावरण विभाग के शासनादेश सं0 3333/55-पयू0/2008 दि0 29.09.2008 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश प्रदेश नियंत्रण बोर्ड से सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा तथा प्रस्तावित योजना के संबंध में संक्षेप स्तर से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। निर्देशक मंडल द्वारा अनुमोदित मारटर प्लान 2031 की नीति के आधार पर सालिडवेस्ट की गणना की जायेगी। सालिडवेस्ट

5. विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता के पास है। प्रश्नगत स्वीकृति प्लान के उसी भाग के लिए मान्य होगी जो विकासकर्ता के स्वामित्व में है।

4. वाहय अवस्थापनगत सुविधाओं से आंतरिक सुविधाओं का संयोजन आवेदक द्वारा प्राधिकरण से अनुमति के उपरांत स्वयं के खर्चे पर कराया जायेगा।

3. प्रस्तावित निर्माण/भवन में समस्त आंतरिक विकास कार्य जैसे नाली, सीवर, वाटर सप्लाई, बिजलीकरण, सेंटिक टैंक, रेन वाटर हार्बरिस्टम, ट्रांसफार्मर इत्यादि आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर निर्धारित बिडलिखिताओं एवं परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित तथा प्रस्तुत षण्ण पत्र के अनुसार करवाये जायेगा। स्थानीय निरीक्षण के दौरान आंतरिक विकास कार्यों की निधारित बिडलिखिताओं के अनुरूप न पाये जाने की स्थिति में प्राधिकरण आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई हेतु स्वतंत्र होगा।

2. ग्रामी को नियमानुसार प्राधिकरण को विकास के पूर्ण हो जाने की सूचना समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन के अंदर देना होगा।

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिये है। यदि निर्माण का विकास शालीनसार /आडानुकूल नही विकसित की गयी तो प्राधिकरण द्वारा उसे निरस्त किया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार विकासकर्ता पर होगा यदि कोई निर्माण बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्ति अथवा पुनः विकसित होगा तो विकासकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय निर्माण को प्राधिकरण द्वारा हटवाया जाएगा और उसके हटाने के खर्चे का भार उन विकासकर्ता से वसूल किया जायेगा।

नोट 1. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिये है। यदि भू-विन्यास का विकास शालीनसार /आडानुकूल नही विकसित की गयी तो प्राधिकरण द्वारा उसे निरस्त किया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार विकासकर्ता पर होगा यदि कोई निर्माण बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्ति अथवा पुनः विकसित होगा तो विकासकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय निर्माण को प्राधिकरण द्वारा हटवाया जाएगा और उसके हटाने के खर्चे का भार उन विकासकर्ता से वसूल किया जायेगा। निम्न शर्तें प्रभावी होगी:-



- के अंतिम निरंतरण हेतु विकासकर्ता को स्वयं नगर निगम की सहमति/अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
7. योजना का कम्पलीशन सर्टीफिकेट तभी जारी किया जाएगा जब विकास कर्ता द्वारा सम्पूर्ण विकास कार्य व निमण के साथ-साथ ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0वी0 भवन का निमण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
8. विकासकर्ता द्वारा ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0वी0 भवन, तथा सामुदायिक सुविधाएं ले-आउट में ऐसे स्थलों पर प्रस्तावित किये जायेंगे, जिनका स्थानित निर्वादा रूप से विकासकर्ता के पास उपलब्ध हो।
9. विकास के सभी कार्य निष्पत्ति विधिबद्धताओं एवं मानकों के आधार पर विकासकर्ता द्वारा सम्पादित करायें जायेंगे। विकास कार्य निष्पत्ति विधिबद्धताओं एवं मानकों के अनुसार न करवाए जाने की स्थिति में बंधक मूखण्डों को विकस कर अथवा बैंक गारंटी को विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य न करवाए जाने अथवा निष्पत्ति विधिबद्धताओं एवं मानकों के खरा जायेगा अथवा विकासकर्ता द्वारा इतनी ही धनराशि की बैंक गारंटी प्रेषित की जायेगी। विकास योग्य भूमि का 20 प्रतिशत (बीस प्रतिशत) क्षेत्र लीडा के समक्ष/पास बंधक के रूप में लिजाइन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह सुनिश्चित करने हेतु विकासकर्ता द्वारा सम्पादित करायें जायेंगे। विकासकर्ता द्वारा आंतरिक विकास कार्य का विस्तृत ड्राइंग, लिजाइन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह सुनिश्चित करने हेतु विकासकर्ता द्वारा विकासकर्ता द्वारा कैश फ्लो स्टेटमेंट तथा निमण/विकास गतिविधियाँ हेतु बार चार्ट प्रस्तुत करनी होगी, जो सी0ए0 द्वारा सत्यापित होगा। योजना के समस्त कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने होंगे। यदि भविष्य में मा0 न्यायालय अथवा राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार का निर्णय/निर्देश, किसी प्रकार के श्रृंखला अथिरोपित करने के संबंध में जारी किये जाते हैं तो उसके अनुसार विकासकर्ता को श्रृंखला प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा। विकासकर्ता को अपने बैंक का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा, जिनसे उसके द्वारा वित्तीय सुविधा प्राप्त की जा रही है।
10. विकासकर्ता द्वारा रेनवाटर इवैरिस्टिंग हेतु प्रस्तावित स्ट्रक्चर्स की प्रथमतः क्षेत्र की हाईड्रोलॉजिकली के आधार पर उपयुक्तता के संबंध में सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश भूजल विभाग से स्वयं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
11. विकासकर्ता को विद्युत आपूर्ति यू0पी0पी0सी0एल0 से प्राप्त की जानी प्रस्तावित है, जिसके लिए विकासकर्ता को स्वयं यू0पी0पी0सी0एल0 से सहमति/अनुमति प्राप्त करनी होगी।
12. विकासकर्ता द्वारा कैश फ्लो स्टेटमेंट तथा निमण/विकास गतिविधियाँ हेतु बार चार्ट प्रस्तुत करनी होगी, जो सी0ए0 द्वारा सत्यापित होगा। योजना के समस्त कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने होंगे। यदि भविष्य में मा0 न्यायालय अथवा राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार का निर्णय/निर्देश, किसी प्रकार के श्रृंखला अथिरोपित करने के संबंध में जारी किये जाते हैं तो उसके अनुसार विकासकर्ता को श्रृंखला प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा। विकासकर्ता को अपने बैंक का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा, जिनसे उसके द्वारा वित्तीय सुविधा प्राप्त की जा रही है।
13. योजना के प्रथमतः एवं रख-रखाव के कार्य के संबंध में को लीडा द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करना होगा।
14. विकासकर्ता द्वारा आंतरिक विकास कार्य का विस्तृत ड्राइंग, लिजाइन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
15. किसी भी शर्तों का अनुपालन न करने पर मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्देशक मंडल का निर्णय अंतिम होगा।



परिषद प्रबंधक (परि०)

- प्रतिलिपि-
1. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, लीजा लेखनक को इस आशय से प्रेषित कि अवशेष आर्थिक विकासक श्रृंखला की गणना एवं देयता के संबंध में आवश्यक कायदाही हेतु प्रेषित।
 2. संबंधित सहोपबंधक परि० (जोन-लेखनक) को इस आशय से प्रेषित कि मौके पर स्वीकृत मानचित्र एवं शर्तों के अनुसार ही निर्माण कार्य हो, को सुनिश्चित, करायें अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण निम्नोदारी आपकी होगी।

पत्र सं०/लीजा/ए०सी०ई०आ०.....दिनांक

सहायक प्रबंधक (परि०) प्रबंधक (परि०) टाउन वानर/सहोपबंधक

- को लिखित में सूचना देनी होगी।
21. शो पार्थ इंक्वायिड प्रो लियो द्वारा खोल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण जायेगा।
 20. किन्ही भी शर्तों के उल्लंघन करने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा मानचित्र निरस्त कर दिया शो पार्थ इंक्वायिड प्रो लियो को उनका अनुपालन समयान्तर्गत सुनिश्चित करना होगा।
 19. स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र परमिट सं० 281 दि० 13.08.15 की समस्त शर्तें प्रभावी होंगी एवं प्रकियाएं शो पार्थ इंक्वायिड प्रो लियो को पूरी करनी होंगी।
 18. किन्ही भी शासकीय भूमि पर निर्माण अनुमत्य नहीं होगी। एकसर्वेण संबंधी समस्त विधिक निर्माण कार्य प्रारम्भ करायें जायेगा।
 17. ई०आई०ए० एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी एवं उसी के उपरांत समझा जायेगा।
 16. एयर पोर्ट एयरिटी से ऊंचाई के लिये अनापत्ति प्रमाण -पत्र प्राप्त करना होगा तथा एयर पोर्ट एयरिटी द्वारा निर्धारित ऊंचाई तक ही मानचित्र की स्वीकृति मानी जायेगी एवं निर्माण भी नियमानुसार उसी ऊंचाई तक अनुमत्य होगा। अधिक ऊंचाई का मानचित्र स्वतः निरस्त